रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291] नई दिल्ली, सोमवार, मई 7, 2018/वैशाख 17, 1940
No. 291] NEW DELHI, MONDAY MAY 7, 2018/VAISAKHA 17, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2018

सा.का.नि. 429 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 173, धारा 177, धारा 178 और धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 (जिन्हें इसमें इसके बाद मूल नियम कहा गया है) में, नियम 4 में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु जहां यदि किसी बैठक में निदेशकों की व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से गणपूर्ति होती है तो कोई अन्य निदेशक वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य दृश्य माध्यम से भाग ले सकता है।"।

3. मूल नियम में, नियम 6 में "प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी" शब्द रखे जाएंगे।

4. मूल नियम में, नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**13. विशेष संकल्प**.- धारा 186 की उपधारा (2) के अधीन कोई ऋण अथवा प्रत्याभूति अथवा निवेश देने या कोई प्रतिभूति अथवा अधिग्रहण उपलब्ध कराने के लिए धारा 186 की उपधारा (3) के अनुरूप साधारण बैठक में पारित किसी प्रस्ताव में यह विनिर्दिष्ट होगा कि निदेशक मंडल कितनी राशि के ऐसे ऋण या प्रत्याभूति दे सकता है अथवा प्रतिभूति उपलब्ध करा सकता है अथवा ऐसा अधिग्रहण कर सकता है:

परंतु कंपनी धारा 186 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार वित्तीय विवरण में सदस्यों के समक्ष पूरे ब्यौरे का प्रकटीकरण करेगी।"।

[फा.सं.1/32/2013-सीएल-V (भाग)]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम तारीख 31 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 240(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, धारा 3, उपधारा (i) में प्रकाशित किए गए थे और इनमें निम्नलिखित पश्चातवर्ती संशोधन किए गए:

1. सा.का.नि. 398(अ) तारीख 12 जून, 2014;
2. सा.का.नि. 590(अ) तारीख 14 अगस्त, 2014;
3. सा.का.नि. 206(अ) तारीख 18 मार्च, 2015;
4. सा.का.नि. 971(अ) तारीख 14 दिसंबर, 2015;
5. सा.का.नि. 309(अ) तारीख 30 मार्च, 2017; और
6. सा.का.नि. 880(अ) तारीख 13 जुलाई, 2017

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2018

G.S.R. 429 (E).—In exercise of the powers conferred by sections 173, 177, 178 and section 186 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Meetings of Board and its Powers) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 4, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where there is quorum in a meeting through physical presence of directors, any other director may participate through video conferencing or other audio visual means.".

3. In the principal rules, in rule 6, for the words "every listed company", the words "every listed public company" shall be substituted.

4. In the principal rules, for rule 13, the following rule shall be substituted, namely:-

"13. Special Resolution.- A resolution passed at a general meeting in terms of sub-section (3) of section 186 to give any loan or guarantee or investment or providing any security or the acquisition under sub-section (2) of section 186 shall specify the total amount up to which the Board of Directors are authorised to give such loan or guarantee, to provide such security or make such acquisition:

Provided that the company shall disclose to the members in the financial statement the full particulars in accordance with the provisions of sub-section (4) of section 186.".

[F. No. 1/32/2013-CL-V-Part]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note.– The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 240(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended as follows:-

1. G.S.R. 398 (E) dated the 12th June, 2014;
2. G.S.R. 590 (E) dated the 14th August, 2014;
3. G.S.R. 206 (E) dated the 18th March, 2015;
4. G.S.R. 971(E) dated the 14th December, 2015;
5. G.S.R. 309 (E) dated the 30th March, 2017; and
6. G.S.R. 880 (E) dated the 13th July, 2017.

IndiaCode

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.05.08 17:56:23 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.